मध्यप्रदेश शासन
ऊर्जा विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 8981 /2016/तेरह भोपाल, दिनांक 23.11.16

प्रति,

प्रबंध संचालक
म.प्र. पूर्व/मध्य/पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
जबलपुर/भोपाल/इंदौर।

विषय:- किसानों को "मुख्यमंत्री स्थाई पंप कनेक्शन योजना" के अंतर्गत ठेकेदारों के चयन की सुविधा देने बाबत्।

संदर्भः-मध्य क्षेत्र वितरण कंपनी का पत्र क. प्रसं/मक्षे/पीएस/2016/65 दिनांक 07.11.2016

:-:

"मुख्यमंत्री स्थाई कृषि पंप कनेक्शन योजना" के अंतर्गत किसानों को ठेकेदारों के चयन की सुविधा प्रदान किये जाने के संबंध में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी से प्राप्त प्रस्ताव संलग्न प्रेषित है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के उक्त प्रस्ताव पर पावर मैनेजमेंट कंपनी तथा वितरण कंपनियों के प्रबंध संचालक के साथ दिनांक 9.11.2016 को आयोजित बैठक में चर्चा की गई थी तथा इस पर सहमति बनी थी।

निर्देशानुसार "मुख्यमंत्री स्थाई कृषि पंप कनेक्शन योजना" के अंतर्गत किसानों को ठेकेदारों के चयन की सुविधा प्रदान किये जाने के संबंध में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के उक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया जाता है। इसे तीनों वितरण कंपनियों द्वारा तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

(एम.धारीवाल) 22/11/16
विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी
म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग

क्रमांक 8982 /2016/तेरह भोपाल, दिनांक 23.11.16

प्रतिलिपिः-

1/ प्रबंध संचालक, एम.पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर। पत्र के साथ मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा प्रेषित प्रस्ताव की प्रतिलिपि संलग्न है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी
म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग

मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कं. लि.

(मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम)

निष्ठा परिसर, बिजली नगर, गोविन्दपुरा, भोपाल – 462023

दूरभाष : (0755) 2588377 (O) फैक्स : (0755) 2589821

E-mail : md@mpcz.co.in, Website : www.mpcz.co.in

CIN : U40109MP2002SGCO15119

कमांक: प्रसं/मक्षे/पीएस/2016/65

प्रति,

भोपाल, दिनांक 07–11–2016

अपर मुख्य सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
ऊर्जा विभाग,
मंत्रालय, वल्लभ भवन,
भोपाल.

विषय :– किसानों का मुख्यमंत्री स्थाई पंप कनेक्शन योजना के अंतर्गत ठेकेदारों के चयन की सुविधा देने बाबत्।

भारतीय किसान संघ के साथ दिनांक 06 अक्टूबर, 2016 को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि मुख्यमंत्री स्थाई पंप कनेक्शन योजना के अंतर्गत किसानों को ठेकेदार के चयन की सुविधा प्रदान की जानी है। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड़ ने उक्त कार्य करने के लिए निम्नांकित प्रकिया निर्धारित की गई है :–

1– मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड़ के द्वारा खुली निविदा के माध्यम से सभी अधिकृत ठेकेदारों को वृत्त स्तर पर इस कार्य को करने के लिए (Empanel) किया जायेगा। इसके लिए पिछले वर्षों की संख्या के आधार पर मध्य क्षेत्र कंपनी वर्ष में होने वाले कृषक अनुदान कार्यों की वृत्तवार संख्या का निर्धारण किया जायेगा। संभावित स्थाई पंपों की संख्या के आधार पर एक निविदा प्रकाशित की जाएगी। इस निविदा की मुख्य शर्त में यह समावेश होगा कि संपूर्ण कार्य के लिए मुख्य सामान (ट्रांसफार्मर, केबिल, कंडक्टर इत्यादि) कंपनी द्वारा प्रदान किया जाएगा तथा अन्य सूक्ष्म सामान का भुगतान कंपनी की एस.ओ.आर. दर अथवा कंपनी के आर.सी.(जो भी न्यूनतम हो) के आधार पर चयनित ठेकेदार को किया जायेगा। इस तरह से निविदाकर्ता को सिर्फ परिवहन तथा श्रम लागत के लिए निविदा में भाग लेना होगा। प्रत्येक निविदाकर्ता को कंपनी के कुल एस्टीमेट की लागत का प्रत्येक वृत्तवार अलग–अलग प्रतिशत बताना होगा। जिस प्रतिशत पर वह इस कार्य को संपादित करना चाहेंगे।

(2)

2– वे सभी निविदाकर्ता जो एल–1 से 20 प्रतिशत की निम्नतम सीमा में आयेंगे उन सभी को एल–1 निविदाकार की दरों पर कार्य करने का अवसर दिया जायेगा। जो निविदाकार इसके लिए सहमत हो जायेंगे उन सभी को उस वृत्त के लिए सूचीबद्ध किया जायेगा।

3– कृषक अपने वृत्त के सूचीबद्ध निविदाकर्ताओं में से किसी को भी चयनित कर सकेंगे तथा यह चयन आवेदन भरते समय ही कराया जायेगा।

4– निविदा एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगी एवं आवश्यकता पड़ने पर इसे अगले छः माह के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

5– मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने उक्त प्रकिया के अंतर्गत निविदा की प्रकिया प्रारंभ कर दी है। निविदा समाप्ति के पश्चात् प्राप्त परिणामों से पृथक से सूचित किया जायेगा।

उपरोक्त आपके अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

(विवेक कुमार पोरवाल)
प्रबंध संचालक